(संशोधन)

संख्या:73/2017/3787/12-2-2017-60(6)/2017 टी0सी0-14

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2017

विषय: फसल ऋण मोचन योजना के ऋणी कृषक की मृत्यु के पश्चात एक से अधिक उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामले में शासनादेश संख्या: 71/2017/3452/12-2-2017-60(6)/2017टी0सी0-14 दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 शासनादेश डाट-काम पर त्रुटिवश अपलोड हो गया है, जिसे कृपया संज्ञान में न लिया जाय और उक्त शासनादेश को निरस्त समझा जाय।

2. प्रश्नगत विषय पर शासनादेश डाटकाम पर आनलाइन अपलोड शासनादेश संख्या: 72/2017/3452/12-2-2017-60(6)/2017टी0सी0-14 दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को ही संज्ञान में लेते हुए तदनुसार प्रकरण में कृपया कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

संख्या:73/2017/3787(1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
4. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, लखनऊ।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
6. निबंधक, सहकारी समितियॉं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बडौदा, विभूमि खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in